रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2018/पौष 25, 1939
No. 201] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2018/PAUSHA 25, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2018

का. आ. 227(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in. पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

और, लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और मिज़ोरम राज्य में चम्फई जिले के चम्फई आरडी खंड/तालुका/तहसील में नगोपा उप-प्रभाग के तहत नगोपा ग्राम के दक्षिण में 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है;

और, मिजोरम राज्य सरकार ने लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य को इसकी पारिस्थितिकी, वनस्पतिक, जीवजन्तु और प्राकृतिक महत्व संरक्षण और प्रचार तथा विकास की आवश्यकता और इसके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे वन्यजीव (संरक्षण)

अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत दिनांक 31 मई, 2002 की अधिसूचना सं. बी.12012/15/94-एफएसटी द्वारा घोषित किया है;

और, लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता समृद्ध है, यहां वनस्पति के वन प्रकार 8बी/सी2-खासी उप-उष्णकटिबंधीय नम पहाड़ी वन और किस्म 9/सी2-असम उप-उष्णकटिबंधीय पाइन वन पाए जाते हैं, और आईयूसीएन, सीआईटीईएस और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे लमचिता, हूलॉक गिब्बन, आदि के लिए आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है। यह भारत में महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) में से एक है और एम आर एस. ह्यूम्स बार-टेल्ड फिजेन्ट प्रजाति, जैसी प्रजातियों, जो यहां पाई जाती है, को मिजोरम राज्य पक्षी के रूप में घोषित की गई है;

और, लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 15 वनस्पति की प्रजातियाँ पाई जाती है जिसमें चींकापिन (कासटोनोपसीस टरीबुलोइदेस), आर्किड ट्री- कचनार (बयहीनीय *वरिइगाटा*), ग्रिफ़िथ प्लम यू (केफलोटक्अस गरीफिफिथि), ओक (क्यूइरकुस पोल्स्टाचया), हिमालयन ओक (क्यूइरकस लेओकोटेरीचोफोरा), बॉक्स मर्टल (मयरीका इस्कुलेंटा), बेलटुर (ओसटोदेस पानीकुलाटा), धूप पेड़ (कनारीयम लेकीनीफेरूम), प्लम (परूंअस अरमेनीइका), बाटलिग (वेंदलांदीअ गलांदीस), बांस (अरूंदीनारीअ काल्लोसा), फह (लिथोकारपुस दीअल्बाता), थिंगथुपुई (डायसोक्साइलम गोबारा), ब्रुम घास (थयसनोलाइना मेक्सीमा) और बांस (मेलोकालामुस कोमपाचटीफ्लोरा) शामिल हैं;

और, अभयारण्य 17 जीवजन्तु की प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिसमें तेंदुआ (नेओफेलीस नेबुलोसा), हिमालयन काला भालू (अरसूस थिबेटनुस), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइंस*), बुरमेस फेर्रेट बेदगेर (मेलोगाले परसोनाटा), सांभर (*करवुस यूनीकोर्लर*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), सेराव (कापरीकारनीस सुमातराइंसीस), गोरल (नेइमोरहेदूस गोरल), रेसूस माकाक्यूइ (मकाका मुलाटा), असामेसे मकाक्युइ (माकाका अस्सामेंसीस), केप्पेड लंगूर (प्रेसबीटस पीलेअटुस), हुलांक उतक (हायलोबेटेस होलोक), बनैला सूअर (*सूस स्क्रोफ़ा*), साही (हायस्टीक्स इंडिका), मालायन विशाल गिलहरी (रातुफा बीकोलोर) और पुष्पित (नयकटीकेबुस बेंगालेंसिस) शामिल हैं;

और, लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की बहुलता है और महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों जैसे एम आर एस. ह्यूम्स बार-टेल्ड फिजेन्ट-वावु (सिरमाटीकुस हुमीअ), कालिज फिसेंट-वाहरीट (लोफुरा लेओकोमेलाना), लाल जंगली मुरगी (गाल्लुस गाल्लुस), बारटेल्ड कोयल कबूतर (माकरोपयागीअ अंचाल्ल), हाउस स्वीफ्ट (अपुस अफफिनइ), ब्रेथेड हॉर्नबिल - कवल्हावक (राईटिसेरस *अनड्लाटस*), लार्ज वाइट रूमपड स्विफ्ट (अपस पाकीफीकुस), मोयनटइन इमपेरीअल (दुकुला बदीअ), इमेराल्ड कबूतर (चाल्कूफाप इंडिका), ग्रीन इमपेरीअल कबूतर (दुकुला अइनेअ), हिल तीतर (अरबोरोफील्ला टोरक्यूइओला), ब्लैक ईगल (लेटीनाइटुस मालायनसीस), ब्लैक इअरेड काइट (मीलवुस लिनेअटुस), करेस्टेड सरपेंट ईगल (स्पीलोरनीस चेला) और कॉमन बुज्जारड (बुटेओ बुटेओ) का समर्थन करता है। इसके अलावा, अभयारण्य सरीसृप की तीन महत्वपूर्ण प्रजातियों (पायथोन मोलुरूस बीवीट्टाटुस, पथयास मुकोसुस और टरीमेरेसुरसुस गरामीनेअस), एक उभयचर (बुफो नुलानोस्टीकटुस) और दो मछलियों की प्रजातियों (मराइना थयरोइडाइ और बरबुस टोर टोर) का आश्रय स्थल है। इसके अलावा, अभयारण्य में महत्वपूर्ण प्रकार और किस्में की तितलियां, कीड़े आदि पाए जाते हैं

और, अभयारण्य में वनस्पति और जीव जन्तुओं की लगभग 30 स्थानिक प्रजातियां हैं जैसे हूलाक उतक, लमचीत्ता, सिरो, कैप्ड लंगूर, सांभर, मालायन विशाल गिलहरी, एम आर एस. ह्यूम्स बार-टेल्ड फिजेन्ट, कालीज फीजेंट, लाल जंगली मुरगी, करेस्टेड सरपेंट ईगल, हाउस स्विफट, लार्ज वाइट रमपेड स्विफट, ब्रेथेड धनेश, हिल तीतर, रेड वांदा, चींकापीन, ओरचीड ट्री (कचनार), गरीफफिथ प्लम येव, ओक, हीमालयन ओक, बॉक्स मयरटले, बेल्चर, धूप ट्री, बाटलिग, फह, प्लम,

थींगथुपुई, बांस और ब्रुम घास आदि है। इन प्रजातियों में से सात (हूलॉक उतक, लमचित्ता, सेरो, कैप्ड लंगूर, सांभर, रेड वांडा और मिसिस हुमेस बार-टेल्ड फिजेन्ट) दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है;

और, लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीवजन्तुओं और पक्षियों का वास है, और मिजोरम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीव की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण और आश्रय प्रदान करता है। इसलिए, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से वनस्पति, जीव-जन्तुओं जैव विविधता के संरक्षण और प्रचार के लिए लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को संरक्षण और संरक्षित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिजोरम राज्य में लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.1 से 0.8 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल 21.0 वर्ग किलोमीटर होगा और लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर इसकी सीमा 0.1 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर तक होगी|

(2) लेंगेटेंग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है।

(3) लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है |

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से तथा इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संबंधी बातों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि और बागवानी ;
(iv) पुलिस;
(v) राजस्व;
(vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिकी पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) मत्स्य पालन;
(x) पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग;
(xi) नगरपालिका और ग्रामीण विकास;

(xii) पंचायती राज; और

(xiii) लोक निर्माण विभाग।

(xiv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतरी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र, ग्रामों, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी । इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कृत्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** :

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग ;

(v) सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है;और

(Vi) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों तथा क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों/चैनल/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी । इन क्षेत्रों में या आसपास के प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन :**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉटों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपयुक्त योजना बनायी जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हे आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार किया जाएगा। पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण), अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय- समय पर संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) अत्यधिक कटाव वाले विद्यमान पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी से विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में

		दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	(जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषणकारी नए तेल और गैस उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नही होंगे। (ख) परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
10.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात

		नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और गृह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ग) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (घ) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि अथवा सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा

	ढांचा।	दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी समिति (डीईएमजेडएमसी) गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i)	चाम्फई जिलें के उपायुक्त	अध्यक्ष;
(ii)	भूमि राजस्व और निपटान विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	स्थानीय प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(viii)	मत्स्य पालन विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	पुलिस विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(xi)	ऊर्जा एवं विद्युत विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(xii)	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(xiii)	मृदा एवं नमी संरक्षण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(xiv)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(xv)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(xvi)	क्षेत्रीय अधिकारी, मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(xvii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे मिजोरम राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(xviii)	जैव विविधता और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे मिजोरम राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(xix)	संबंधित डीसीएफ / डीएफओ	सदस्य-सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/15/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध -I

लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर की परिधि से तुईला लुई (नदी) (93°15'5.122"पू, 23°51'5.053"उ) से आरंभ होकर उत्तर की ओर जाती है यह नगोपा से कवलबेम सड़क (93°15'57.977"पू, 23°52'28.089"उ) तक और 500 मीटर की परिधि से मिलती है यह लेईवा लुई (नदी) (93°17'43.409"पू, 23°50'29.705"उ) तक मिलती है।

पूर्व : लेईवा लुई (नदी) से 500 मीटर की परिधि तक लेंगटेंग सीमा के समानान्तर से सिलम सड़क (93°16'11.259"पू, 23°47'8.794"उ) तक जाती है और इसके बाद लेईवा लुई (नदी) के साथ दक्षिण की ओर 100 मीटर की परिधि तक जाती है यह दिमफई लुई (नदी) (93°17'23.756"पू, 23°46'8.716"उ) से मिलती है और ऐदम लुई (नदी) (93°16'25.478"पू, 23°44'26.418"उ) में लेंगटेंग सीमा से 600 मीटर की परिधि तक जाती है।

दक्षिण: लेंगटेंग सीमा से ऐदम लुई (नदी) तक 600 मीटर की परिधि है और तुईमई लुई (नदी) (93°13'14.037"पू, 23°44'49.612"उ) को पार करती है जहाँ 800 मीटर की परिधि है यह थिंगखौंग लुई (नदी) (93°12'43.38"पू, 23°46'53.394"उ) से मिलती है।

पश्चिम: खवते लुई (नदी) (93°12'55.455"पू, 23°47'29.066"उ), सैकह लुई (नदी) और तुईलुआई लुई (नदी) को पार करके 800 मीटर की परिधि से थिंगखौंग लुई (नदी) तक आरंभ होकर यह तुईला लुई (नदी) (93°13'2.73"पू, 23°47'54.617"उ) के स्त्रोत से मिलती है।

उपाबंध –II

भू स्थिति प्रणाली के संदर्भ में लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक

संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान (●)	स्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	1	उत्तर	23°52'8.205"उ	93°15'37.745"पू
2	2	उत्तर	23°52'14.638"उ	93°17'13.722"पू
3	3	उत्तर	23°51'37.367"उ	93°16'51.427"पू
4	4	पूर्व	23°49'21.78"उ	93°17'33.811"पू
5	5	पूर्व	23°47'21.252"उ	93°15'49.346"पू
6	6	पूर्व	23°46'6.354"उ	93°17'20.963"पू
7	7	दक्षिण	23°44'19.811"उ	93°15'3.156"पू
8	8	पश्चिम	23°46'45.351"उ	93°13'11.397"पू
9	9	पश्चिम	23°48'36.669"उ	93°13'38.418"पू
10	10	पश्चिम	23°50'20.986"उ	93°14'38.449"पू

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान (▲)	स्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	1	उत्तर	23°51'5.053"उ	93°15'5.122"पू
2	2	उत्तर	23°52'28.089"उ	93°15'57.977"पू
3	3	उत्तर	23°50'29.705"उ	93°17'43.409"पू
4	4	पूर्व	23°47'8.794"उ	93°16'11.259"पू
5	5	पूर्व	23°46'8.716"उ	93°17'23.756"पू
6	6	दक्षिण	23°44'26.418"उ	93°16'25.478"पू
7	7	दक्षिण	23°44'49.612"उ	93°13'14.037"पू
8	8	पश्चिम	23°46'53.394"उ	93°12'43.38"पू
9	9	पश्चिम	23°47'29.066"उ	93°12'55.455"पू
10	10	पश्चिम	23°47'54.617"उ	93°13'2.78"पू

उपाबंध -III

भारत के सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

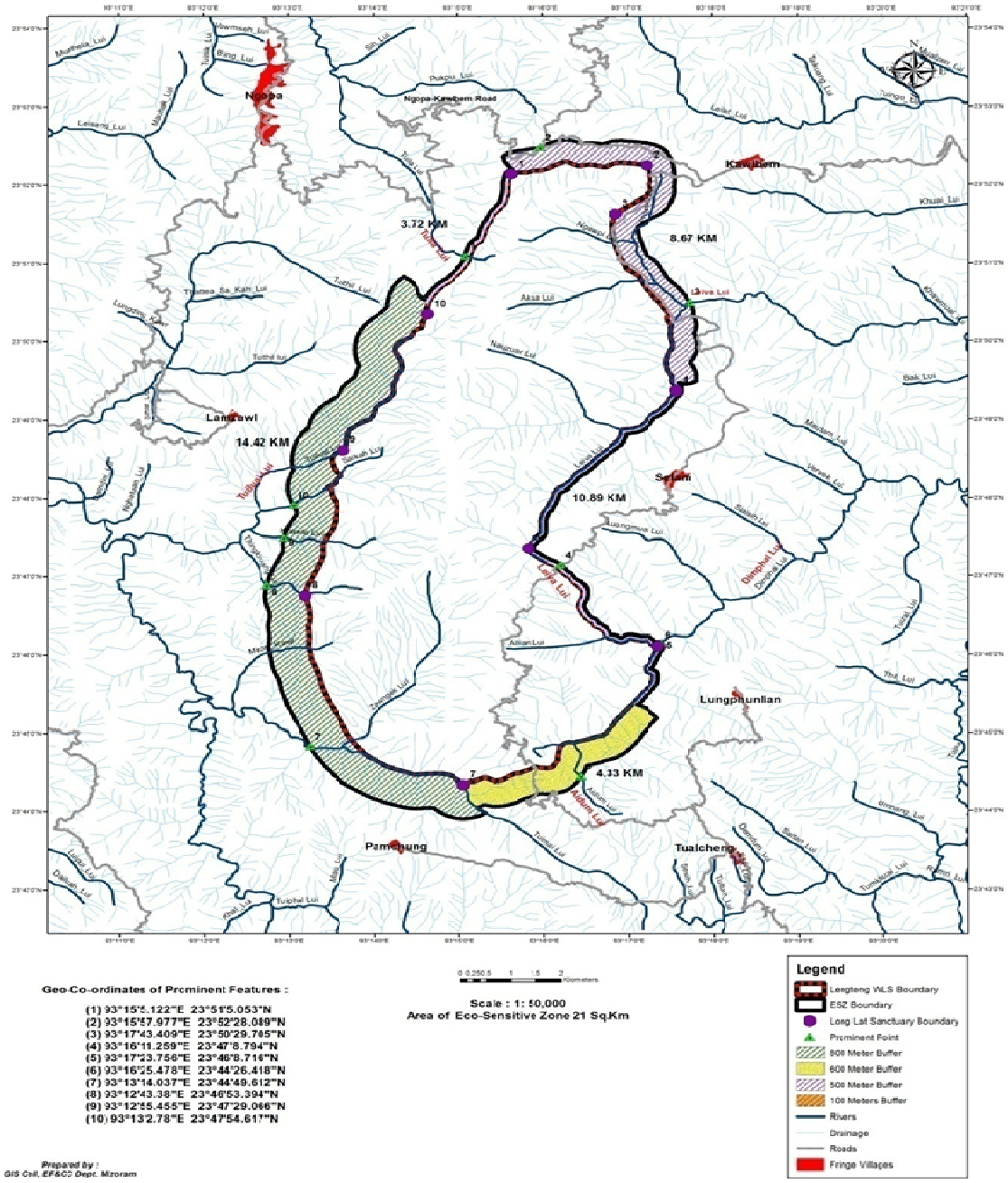

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। (विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2018

S.O.227(E).—The following draft of Notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of 60 days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft Notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Lengteng Wildlife Sanctuary (WLS) is spread over an area of 60 sq. km and situated 7 km to the south of the Ngopa village under the Ngopa Sub-Division in Champhai RD Block/Taluka/Tehsil of Champhai District in the State of Mizoram;

AND WHEREAS, the Lengteng WLS was declared by the State Government of Mizoram considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 vide Notification No.B.12012/15/94-FST dated 31st May, 2002;

AND WHEREAS, the Lengteng WLS is rich in biodiversity, the vegetation found here belongs to Forest type 8B/C2-Khasi Sub-Tropical Wet Hill Forests and type 9/C2-Assam Sub-Tropical Pine Forests, and provides shelter and protection to rare and endangered species e.g. Clouded leopard, Hoolock gibbon, etc. listed in the Red Data Book of IUCN, CITES and Wildlife (Protection) Act, 1972. It is also one of the Important Bird Areas (IBA) in India and species like Mrs. Hume's Bar-tailed Pheasant, declared as State Bird of Mizoram, found here;

AND WHEREAS, the Lengteng WLS supports about 15 species of flora including Chinkapin (*Castonopsis tribuloides*), Orchid tree-kachnar (*Bauhinia variegata*), Griffith's plum yew (*Cephalotaxus griffithii*), Oak (*Quercus polystachya*), Himalayan oak (*Quercus leocotrichophora*), Box myrtle (*Myrica esculenta*), Beltur (*Ostodes paniculata*), Dhup tree (*Canarium leciniferum*), Plum (*Prunus armeniaca*), Batling (*Wendlandia glandis*), Bamboo (*Arundinaria callosa*), Fah (*Lithocarpus dialbata*), Thingthupui (*Dysoxylum gobara*), Broom grass (*Thysanolaena maxima*) and Bamboo (*Melocalamus compactiflora*).

AND WHEREAS, the sancturay supports 17 fauna species including Clouded leopard (*Neofelis nebulosa*), Himalayan Black Bear (*Ursus thibetanus*), Jungle cat (*Felis chaus*), Wild dog (*Cuon alpines*), Burmese ferret badger (*Melogale personata*), Sambar (*Cervus unicolor*), Barking Deer (*Muntiacas muntjak*), Serow (*Capricornis sumatraensis*), Goral (*Naemorhedus goral*), Rhesus macaque (*Macaca mulata*), Assamese macaque (*Macaca assamensis*), Capped langur (*Presbytis pileatus*), Hoolock gibbon (*Hylobates hoolock*), Wild pig (*Sus scrofa*), Porcupine (*Hystix indica*), Malayan giant squirrel (*Ratufa bicolor*) and Slow loris (*Nycticebus bengalensis*);

AND WHEREAS, the Lengteng WLS is rich in avifauna and supports important bird species like Mrs. Hume's bar-tailed Pheasant-Vavu (*Syrmaticus humiae*), Kalij Pheasant-Vahrit (*Lophura leocomelana*), Red jungle fowl (*Gallus gallus*), Bartailed Cuckoo Dove (*Macropygia unchall*), House swift (*Apus affinii*), Wreathed Hornbill-Kawlhawk (*Rhyticeros undulates*), Large white rumped swift *Apus pacificus*), Mountain imperial Pigeon (*Ducula badia*), Emerald Dove (*Chalcophapa indica*), Green imperial Pigeon (*Ducula aenea*), Hill Partridge (*Arborophila torqueola*), Black eagle (*Letinaetus malayensis*), Black eared kite (*Milvus lineatus*), Crested Serpent Eagle (*Spilornis cheela*) and Common Buzzard (*Buteo buteo*). Besides, the sanctuary also supports three important species of reptiles (*Python molurus bivittatus*, *Ptyas mucosus* and *Trimeresurus gramineus*), one of amphibian (*Bufo nulanostictus*) and two species of fishes (*Maraena thyroidae* and *Barbus tor tor*). In addition, there are significant types and varieties of butterflies, insects etc. found in the sanctuary;

AND WHEREAS, the sanctuary also have about 30 endemic species of flora and fauna e.g. Hoolock gibbon, Clouded leopard, Serow, Capped langur, Sambar, Malayan giant squirrel, Mrs. Hume's bar-tailed Pheasant, Kalij Pheasant, Red jungle fowl, Crested Serpent Eagle, House swift, Large white rumped swift, Wreathed Hornbill, Hill Partridge, Red Vanda, Chinkapin, Orchid tree (kachnar), Griffith's plum yew, Oak, Himalayan oak, Box myrtle, Beltur, Dhup tree, Batling, Fah, Plum, Thingthupui, Bamboo and Broom grass. Seven of these species (Hoolock gibbon, Clouded leopard, Serow, Capped langur, Sambar, Red Vanda and Mrs. Hume's bar-tailed pheasant) are listed under rare, endangered and threatened (RET) category;

AND WHEREAS, the Lengteng WLS is home to a variety of flora, fauna, and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic to Mizoram and the North-East region. Hence, it is necessary to conserve and protect the area around the Lengteng Wildlife Sanctuary from ecological and environmental point of view to protect and propagate the flora, fauna biodiversity therein and its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with extents varying from 0.1 km to 0.8 km around the boundary of Lengteng Wildlife Sanctuary in the State of Mizoram as the Lengteng Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under, namely :-

1. Extent and Boundaries of Eco-Sensitive Zone :-

(1) The Eco-Sensitive Zone shall be 21.0 sq. km with extent varying from 0.1 km to 0.8 km around the boundary of the Lengteng Wildlife Sanctuary;

(2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Lengteng Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**;

(3) The coordinates of Lengteng Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates is appended as **Annexure-II**;

(4) The map of Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-III**;

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone - (1) The State Government shall, for the purpose of Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the proposed plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture & Horticulture;
(iv) Police;
(v) Revenue;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Fishery;
(x) AH & Veterinary Department;
(xi) Municipal and Urban development;
(xii) Panchayati Raj ;
(xiii) Public Works Department;
(xiv) State Pollution Control Board,

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this Notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, villages, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies. The Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote the eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this Notification.

3. **Measures to be taken by State Government --** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this Notification, namely :-

1. Landuse:

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries;

(v) convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(vi) Promoted activities and activities given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused, denuded or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plan for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan. The strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(3) **Tourism/ Eco-tourism:**

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1.0 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage - All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as a part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution - Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents - Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes: Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide Notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste - Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management: - The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management:- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste:- The E- waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic:- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution:- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units:- (i) On or after the publication of this Notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes:- The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this Notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone:

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in

		this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 1.0 km of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. (b) Provided that, beyond 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond 1.0 km it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting	Non-polluting industries as per classification of industries issued

	industries.	by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites etc.	Regulated under applicable law
19.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of plastic bags	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels	Biogas, solar light etc. to be actively promoted
34.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a District Level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee (DESZMC) for effective monitoring of the Eco-Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i)	Deputy Commissioner of Champhai District	Chairman;
(ii)	Representative of Land Revenue & Settlement Department	Member;
(iii)	Representative of Rural Development Department	Member;
(iv)	Representative of Agriculture Department	Member;
(v)	Representative of Local Administration Department	Member;
(vi)	Representative of Public Works Department	Member;
(vii)	Representative of Public Health Engineering	Member;
(viii)	Representative of Fishery Department	Member;
(ix)	Representative of Industries Department	Member;
(x)	Representative of Police Department	Member;
(xi)	Representative of Power & Electricity Department	Member;
(xii)	Representative of AH & Veterinary Department	Member;
(xiii)	Representative of Soil & Moisture Conservation Department	Member;
(xiv)	Representative of Minor Irrigation Department	Member;
(xv)	Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Mizoram	Member;
(xvi)	Regional Officer, Mizoram State Pollution Control Board	Member;
(xvii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xviii)	One expert in Biodiversity from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xix)	Concerned DCF/DFO	-Member Secretary.

6. Terms of Reference:-

(1) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the

14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said Notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this Notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this Notification.

8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/15/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Lengteng Wildlife Sanctuary

NORTH: Starting from Tuila lui (river) ($93^0$15'5.122"E, $23^0$51'5.053"N) up to 100 m of periphery from the boundary of Lengteng wildlife sanctuary towards north till it meets Ngopa to Kawlbem road ($93^0$15'57.977"E, $23^0$52'28.089"N) and from there up to 500 m of periphery till it meets Leiva lui (river) ($93^0$17'43.409"E, $23^0$50'29.705"N).

EAST : From Leiva lui (river) up to 500 m of periphery Lengteng boundary parallel to Selam road ($93^0$16'11.259"E, $23^0$47'8.794"N) and then up to 100 m of periphery towards south along the Leiva lui (river) till it meets Dimphai lui (river) ($93^0$17'23.756"E, $23^0$46'8.716"N) and from there 600 m of periphery up to Lengteng boundary at Aidum lui (river) ($93^0$16'25.478"E, $23^0$44'26.418"N).

SOUTH: From Aidum lui (river) up to 600 m of periphery from Lengteng boundary and crossing Tuimai lui (river) ($93^0$13'14.037"E, $23^0$44'49.612"N) from where up to 800 m of periphery till it meets Thingkhuang lui (river) ($93^0$12'43.38"E, $23^0$46'53.394"N).

WEST: Starting from Thingkhuang lui (river) up to 800 m of periphery crossing Khawte lui (river) ($93^0$12'55.455"E, $23^0$47'29.066"N), Saikah lui (river) and Tuiluai lui (river) till it meets the source of Tuila lui (river) ($93^0$13'2.73"E, $23^0$47'54.617"N).

ANNEXURE-II

Coordinates of the Lengteng Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone in terms of Global Positioning System

GEO-COORDINATES OF THE PROTECTED AREA BOUNDARY

Sl. No.	Identification of Prominent Points (●)	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	North	23°52'8.205"N	93°15'37.745"E
2	2	North	23°52'14.638"N	93°17'13.722"E
3	3	North	23°51'37.367"N	93°16'51.427"E
4	4	East	23°49'21.78"N	93°17'33.811"E
5	5	East	23°47'21.252"N	93°15'49.346"E
6	6	East	23°46'6.354"N	93°17'20.963"E
7	7	South	23°44'19.811"N	93°15'3.156"E
8	8	West	23°46'45.351"N	93°13'11.397"E
9	9	West	23°48'36.669"N	93°13'38.418"E
10	10	West	23°50'20.986"N	93°14'38.449"E

GEO-COORDINATES OF THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Sl. No.	Identification of Prominent Points (●)	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	North	23°51'5.053"N	93°15'5.122"E
2	2	North	23°52'28.089"N	93°15'57.977"E
3	3	North	23°50'29.705"N	93°17'43.409"E
4	4	East	23°47'8.794"N	93°16'11.259"E
5	5	East	23°46'8.716"N	93°17'23.756"E
6	6	South	23°44'26.418"N	93°16'25.478"E
7	7	South	23°44'49.612"N	93°13'14.037"E
8	8	West	23°46'53.394"N	93°12'43.38"E
9	9	West	23°47'29.066"N	93°12'55.455"E
10	10	West	23°47'54.617"N	93°13'2.78"E

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

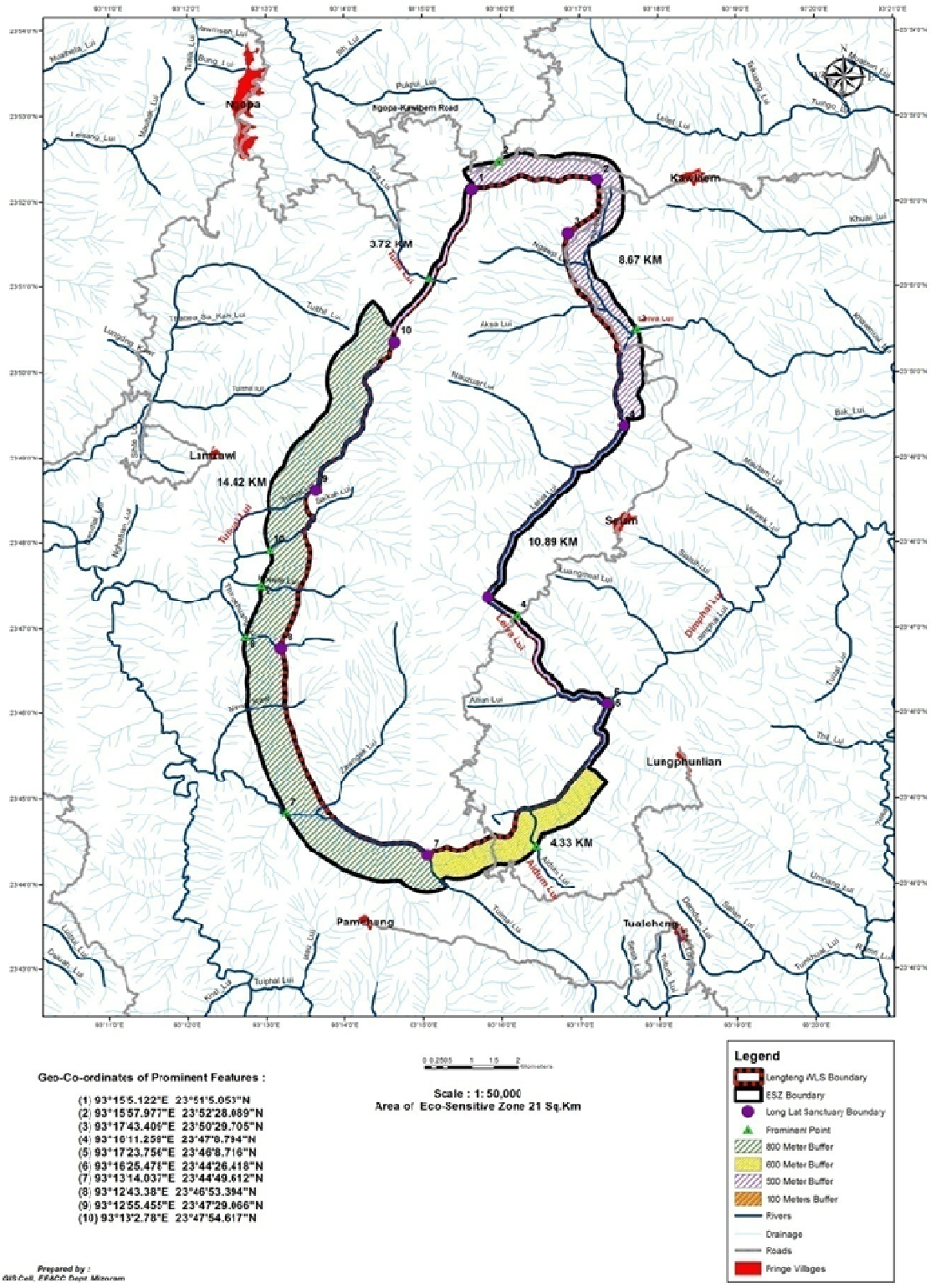

Geo-Co-ordinates of Prominent Features :

(1) 93°15'5.122"E 23°51'5.053"N
(2) 93°15'57.977"E 23°52'28.689"N
(3) 93°17'43.405"E 23°50'29.705"N
(4) 93°16'11.256"E 23°47'6.794"N
(5) 93°17'23.756"E 23°46'8.716"N
(6) 93°16'25.478"E 23°44'26.418"N
(7) 93°13'14.037"E 23°44'49.612"N
(8) 93°12'43.38"E 23°46'53.394"N
(9) 93°12'55.455"E 23°47'29.066"N
(10) 93°13'2.78"E 23°47'54.617"N

Prepared by :
GIS Cell, EE&FC Dept. Mizoram

ANNEXURE-IV

Pro forma of Action Taken Report: Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as separate Annexure:
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure:
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure:
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.01.22 12:29:37 +05'30'